भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 15/2018-संघ राज्य क्षेत्र कर

नई दिल्ली, दिनांक: 08 अक्तूबर, 2018

सा. का. नि..........(अ)- केंद्र सरकार, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 16 तथा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 2 में यथा उल्लिखित संघ राज्य क्षेत्रों में उक्त सारणी के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट सदस्यों के साथ अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकरण का गठन अधिसूचित करती है, अर्थात:-

सारणी

क्र. सं.	अग्रिम विनिर्णय के लिए अपील प्राधिकरण के संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सदस्य का नाम और पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	अंडमान और निकोबार	(i) श्री राकेश कुमार शर्मा, मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, कोलकाता ज़ोन; (ii) श्री उदित प्रकाश, आयुक्त, माल और सेवा कर, अंडमान और निकोबार संघ राज्य क्षेत्र।
2.	चंडीगढ़	(i) सुश्री मनोरंजन कौर विर्क, मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, चंडीगढ़ ज़ोन; (ii) श्री अजीत बालाजी जोशी, उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र।
3.	दमन और दीव	(i) श्री अजय जैन, मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, वडोदरा ज़ोन; (ii) श्री संदीप कुमार सिंह, आयुक्त, (संघ राज्य क्षेत्र

		माल एवं सेवा कर), दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र।
4.	दादरा और नगर हवेली	(i) श्री अजय जैन, मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, वडोदरा ज़ोन; (ii) श्री कानन गोपीनाथन, आयुक्त, (संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर), दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।
5.	लक्षद्वीप	(i) श्री पुल्लेला नगेस्वरा राव, मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, तिरुवनंतपुरम ज़ोन; (ii) श्री विजेन्द्र सिंह रावत, सचिव (योजना, सांख्यिकी और कराधान), लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. एस-31011/21/2016-एसटी-I-डीओआर-पीटी.1]

(राजेन्द्र कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार